सेवामें,

21.5.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत डण्डाली में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल होने के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जात है। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया। पुनश्च: वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली नं. 7 प्राप्त होने पर न्यायहित में स्वीकार की जाती है, और नाम आवेदन पत्र से विलोपित किया गया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र डंडाली)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर समा,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.39 / 2018

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. सूराराम पुत्र पेमाराम
2. धोलीदेवी पत्नि प्रहलादराम
3. लाधीदेवी पत्नि वेहनाराम

जाति जाट निवासी बावडी खूर्द तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जेठाराम पुत्र केसराराम
2. शंकरराम पुत्र केसाराम
3. चेनाराम पुत्र पदमाराम
4. भंवरराम पुत्र पदमाराम
5. राजूराम पुत्र पदमाराम
6. भूराराम पुत्र पदमाराम
7. हुकमाराम पुत्र पुरखाराम
8. दोलाराम पुत्र पुरखाराम
9. भुरीदेवी पत्नि पुरखाराम
10. नगाराम पुत्र फोजाराम
11. पूनमाराम पुत्र फोजाराम
12. उदाराम पुत्र फोजाराम
13. मदनलाल पुत्र फोजाराम
14. मानाराम पुत्र भैराराम

जाति नाई निवासी बावडी खूर्द तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

15. वींजाराम पुत्र शिवजीराम
16. हमीराराम पुत्र शिवजीराम
17. मानाराम पुत्र शिवजीराम

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी (मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

18. वगताराम पुत्र शिवजीराम

19. गुणेशाराम पुत्र मेहराराम

20. लालाराम पुत्र कलाराम

21. कानाराम पुत्र कलाराम

22. बागाराम पुत्र कलाराम

23. मालाराम पुत्र कलाराम

24. अमरराम पुत्र स्वामीराम

25. गडुकाराम पुत्र राउराम

26. उतमाराम पुत्र राउराम

27. सावंलाराम पुत्र राउराम

28. नेनूदेवी पत्नि राउराम

जाति देवासी निवासी बावडी खूर्द
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

29. हडमानसिंह पुत्र अर्जूनसिंह

30. बाबूसिंह पुत्र अर्जूनसिंह

जाति राजपुरोहित निवासी बावडी खूर्द
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

31. तहसीलदार सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2 विप्रार्थी स.1 से 32 एकरतफा।

आदेश

दिनांक–21.5.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बावडी खूर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 55 रकबा 06–06 बीधा व खसरा संख्या 60 रकबा 4–17 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बावडी खूर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 55 रकबा 06–06 बीधा व खसरा संख्या 60 रकबा 4–17 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस तलबी करवाई गई थी एवं विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बावडी खूर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 55 रकबा 06–06 बीघा व खसरा संख्या 60 रकबा 4–17 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम बावडी खूर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 55 रकबा 06–06 बीघा व खसरा संख्या 60 रकबा 4–17 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाय ग्राम बावडी खूर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 55 रकबा 06–06 बीघा व खसरा संख्या 60 रकबा 4–17 बीघा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बावडी खूर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 55 रकबा 06–06 बीधा व खसरा संख्या 60 रकबा 4–17 बीघा भूमि के सबंध में तहसीलदार सिणधरी पूर्व में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 21-5-18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner